मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2357

04.08.2025 को उत्तर के लिए

खतरनाक अपशिष्ट का निपटान

2357. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाले विनिर्माण उद्योगों की संख्या कितनी है, साथ ही उनके स्थान और प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलापों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जो अपने कार्यकरण के परिणामस्वरूप विषाक्त और परिसंकटमय अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं और गत पाँच वर्षों के दौरान खतरनाक अपशिष्ट की जिलावार मात्रा कितनी है;

(ग) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उक्त उद्योगों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के उद्योगों में सुरक्षित निपटान तंत्र की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार संचलन) नियम, 2008 को अधिक्रमित करते हुए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016) को अधिसूचित किया है। उक्त नियमों के अनुसार, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की हैंडलिंग, उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री के लिए प्रस्तुत, हस्तांतरण या निपटान केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद और उक्त नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना है।

उक्त नियमों के नियम 20 के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो परिसंकटमय अपशिष्ट सृजित कर रहा है या उसका प्रबंधन कर रहा है, उसे विनिर्दिष्ट प्रारूप में परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन का तिथिवार रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उसका वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा सृजित, पुनर्चक्रित, उपयोग किए गए, निस्तारित किए गए अपशिष्ट आदि की वार्षिक सूची तैयार करनी होगी और उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्रस्तुत करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण समिति दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से प्राप्त सूचना के अनुसार, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में 2750 परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादक इकाइयों द्वारा वर्ष 2024-25 में 54,403 मीट्रिक टन परिसंकटमय अपशिष्ट सृजित किया गया है। सृजित किए गए 54,403 मीट्रिक टन परिसंकटमय अपशिष्ट में से 10,259.56 मीट्रिक टन का पुनर्चक्रण किया गया है और 43,818 मीट्रिक टन का निस्तारण किया गया है। दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पीसीसी ने वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की सीपीसीबी को वार्षिक सूची प्रस्तुत नहीं की है।

दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निस्तारण के लिए एक एकीकृत साझा परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन भंडारण और निस्तारण सुविधा (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) केंद्र है, जिसमें सुरक्षित भूमि भराव (2,00,000 मिलियन टन/वार्षिक क्षमता) और भस्मक (1 टन/घंटा की क्षमता) है। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक सूची के आधार पर सीपीसीबी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाने वाली भारत में परिसंकटमय अपशिष्ट सृजित करने वाले उद्योगों और परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय सूची की प्रति सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/inventory/ पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, उक्त नियमों की अनुसूची-VII के साथ नियम 21 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सीपीसीबी, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन, एसपीसीबी/पीसीसी, विदेश व्यापार महानिदेशालय, पत्तन प्राधिकरण और सीमा शुल्क प्राधिकरण जैसी विभिन्न एजेंसियों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। उक्त अनुसूची के अनुसार, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के विभिन्न उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्राधिकार प्रदान करना और उसका नवीकरण करना, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की सूची बनाना, उक्त नियमों के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करना और इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।

दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार, वे सख्त जाँच, आवश्यक दस्तावेज़ों और इकाइयों के निरीक्षण के माध्यम से परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, परिसंकटमय अपशिष्ट सृजित करने वाली इकाइयों को यथाःसंशोधित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ सदस्यता या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता का दस्तावेज़, जैसा भी लागू हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव प्रदूषण नियंत्रण समिति कारण बताओ नोटिस जारी करती है, इकाइयां बंद करने संबंधी निर्देश देती है, तथा उल्लंघन पाए जाने पर अनुपालन नहीं करने वाले उद्योगों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाती है।

*****